



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 535 राँची, शनिवार,

19 सितम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

09 जून, 2020 ई०।

संख्या-06/विविध-15/24/2017- 1752-- श्री जय प्रकाश, सेवानिवृत्त प्रभारी लोक अभियोजक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को जमशेदपुर जिलान्तर्गत अखिलेश सिंह गिरोह से संबंधित काण्डों के अभियोजन संचालन हेतु राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए Cr.PC की धारा-24 (8) के तहत अधिसूचना संख्या-5096, दिनांक-29.09.2014 द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में प्रत्येक कार्य दिवस का दैनिक शुल्क रु० 300/- (तीन सौ) के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

2. कार्यहित में विभागीय अधिसूचना संख्या-1528, दिनांक-21.03.2016 द्वारा दिनांक-30.09.2016 तक एवं तत्पश्चात अधिसूचना संख्या-4432, दिनांक-21.09.2016 द्वारा दिनांक-30.09.2017 तक अधिसूचना संख्या-6523 दिनांक-14.11.2017 द्वारा दिनांक-30.09.2018 तक एवं अधिसूचना संख्या-5619 दिनांक-08.10.2018 द्वारा दिनांक-03.09.2019 एवं अधिसूचना संख्या-4820 दिनांक-06.09.2019 द्वारा दिनांक-31.03.2020 इनकी कार्यावधि विस्तारित की गई है।

3. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पत्रांक-31(A)/विधि, दिनांक-06.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अखिलेश सिंह गिरोह से संबंधित काण्डों में अभियोजन संचालन की कार्यवाही अभी चल रही है। इन काण्डों में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए श्री जय प्रकाश की सेवा अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसलिए श्री जय प्रकाश की कार्यावधि विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. अतः श्री जय प्रकाश, सेवानिवृत्त प्रभारी लोक अभियोजक की कार्यावधि विशेष लोक अभियोजक के रूप में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत अखिलेश सिंह गिरोह से संबंधित लंबित काण्डों के अभियोजन संचालन हेतु राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक के लिए विस्तारित की जाती है।

5. श्री जय प्रकाश को विशेष लोक अभियोजक के रूप में की जाने वाली अभियोजन कार्य हेतु पूर्व की तरह प्रत्येक कार्य दिवस का दैनिक शुल्क के रूप में रु० 300/- (तीन सौ) का भुगतान किया जायेगा।

6. श्री जय प्रकाश द्वारा विशेष लोक अभियोजक के रूप में किये जाने वाले अभियोजन कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रभारी लोक अभियोजक/लोक अभियोजक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उपलब्ध कराएँगे, जिसे उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अपने मंतव्य के साथ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
